बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आ०सं०–2 / अ0प्र0–1–167 / 2018 955 / पटना, दिनांक :– 21.5.2020

श्री पंकज कुमार, कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, जहानाबाद अंतर्गत संवेदक श्री सुधीर कुमार, पिता हरेराम सिंह, लाखीबाध, मानपुर, गया द्वारा ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स से प्राप्त सुची में उल्लेखित निविदाओं में जाली बैंक गारंटी प्रमाण पत्र उपयोग किये जाने के बिन्दु पर जाँच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित नहीं किये जाने के मामले में आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 3541 अनु0 दिनांक 03.12. 2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 12.02.2020 में उल्लेख किया गया कि कार्य प्रमंडल, जहानाबाद अंतर्गत संवेदक श्री सुधीर कुमार का बैंक गारंटी एवं एन0एस0सी0 का सत्यापन संबंधित डाक एवं बैंक से करा लिया गया है, जो वैध पाया गया है। उनके द्वारा विभागीय आदेश एवं दायित्वों के प्रति सचेष्ट एवं तत्परता से कार्य संपादित की जाती है। यद्यपि विलंब के लिए वे क्षमा प्रार्थी है।

3. श्री कुमार के स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त विभाग द्वारा श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाते हुए श्री कुमार को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी देने का निर्णय लिया गया है।

4. प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अतः उक्त के आलोक में श्री पंकज कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद को भविष्य में अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

Sd/- 20/5/2020

(संजय दूबे)
अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2 / अ0प्र0–1–167 / 2018 955 / पटना, दिनांक :– 21.5.2020

प्रतिलिपि :–सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग / सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद / प्रशाखा पदाधिकारी–6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / विभागीय आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग / श्री पंकज कुमार, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 20/5/2020

अपर सचिव